



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

कारीगर कोटि में पदोन्नति के लिए व्यवसायिक परीक्षा
— मास्टर परिपत्र

Master Circular

on

Trade Test for promotion in Technician Categories

(43)

**GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)**

Master Circular No. 43
(updated July, 2019)

No.E(NG)I/2019/PM 1/6 Master Circular/TT

New Delhi, dated July ¹⁴24, 2019

**The General Managers (P),
All Indian Railways &
Production Units.**

Sub: Trade Test for promotion in Artisan categories – Master Circular.

The Master Circular No.43 on "Trade Test" was issued vide Railway Board's letter No. E(NG)I/91/PM 1/6 dated 09.01.1992, based on instructions on the subject, issued till then. The Master Circular has been updated incorporating the provision of the instructions issued from 1992 till date as below for information and guidance.

2. A Trade Test is given to employees belonging to artisan category on the Railways at the time of promotion to skilled (redesignated as Technicians) Grade II & III and also promotion to ESM/MSM in S&T Department. Promotion from Khalasi to Khalasi Helper should be on the basis of suitable Aptitude test evolved locally, except for promotion from Khalasi to Khalasi Helper in the following erstwhile semi-skilled trades which will continue on the basis of the trade test presented:-

- i) Baller/Feeder (Printing Press)
- ii) Ferro-Printer (Non-artisans)
- iii) Paper-counter (Printing Press)
(Board's letter No.PC-III/93/CRC/10 dated 29.04.1999)

2.1 Promotion from Technician Gr.II to Gr.I, while other conditions remain the same, would be on the basis of ACRs. Assessment should be done by a Departmental Committee of three officers of whom two will be technical officers not lower than Senior Scale and a Personnel Officer who can be one rank lower but nevertheless an equal member of the Departmental Committee.

2.2 Trade Test should comprise both oral and practical and may include written test wherever considered necessary.

2.3 Qualifying Marks in the Trade Test would be as follows: -

	Total Marks	Qualifying Marks
Practical	60	36
Oral	40	15
Total	100	51

...p/2...

Note: A SC/ST candidate will be required to secure 30 marks out of 60 in the practical test and 11 marks out of 40 in the oral test, as against 36 marks out of 60 in the practical test and 15 marks out of 40 in the oral test prescribed for other community candidates, to qualify in a Trade Test in the categories other than safety categories (E(SCT)70/CM/15/6 dated 31.08.1971).

2.4 The syllabus and rules of Trade Tests for each category are contained in the Trade Test Manual available on the Railways.

2.5 (i) Employees equal to the number of vacancies should be called for trade test. If sufficient number of suitable candidates is not available, further candidates to meet the short fall may be called up in continuation and so on, but the whole process should be completed within six months. If this period is exceeded, it will be treated as a fresh trade test. Those who failed in the earlier test should be eligible to appear in trade test held after expiry of six months period. The period of six months is to be reckoned from the date of announcement of the results.

2.5. (ii) In case of promotion to the posts of ESMs/MSMs Grade-II and I in the S&T Department, employees equal to twice the number of vacancies may be issued notices for consideration for trade test so that an equal number remains in readiness for appearing in the subsequent trade test held in continuation, in case some candidates are not found suitable in the trade test, necessitating other candidates in order of seniority being called at a short notice. Fresh notice need not be issued for the standby candidates. The same procedure may be followed in other cases also where vacancies are required to be filled expeditiously.

2.6 If an employee fails in a trade test but passes subsequent trade test, he should be given preference for promotion over his junior who had passed the trade test held earlier but is still waiting to be promoted for want of a vacancy.

[E(NG)I/66/PM1/98 dated 18.02.1967]

2.7 Pending the holding of Trade Tests, an employee may be promoted to officiate on ad hoc basis for a period of six weeks without passing a trade test.

[E(NG)I/79/PM1/139 dated 27.10.1979]

3. The assessment of vacancies for the trade test should be made as under:-

"Existing vacancies plus those anticipated to arise (as defined below) during the next one year."

[E(NG)I/2018/PM1/65 dated 07.12.2018]

3.1 The concept of anticipated vacancies should be deemed to connote the following:

- a) Vacancies on account of normal wastage, viz retirement on superannuation,
- b) Vacancies likely to be caused as a result of staff having given notice for voluntary retirement, provided the same are likely to be accepted,
- c) Vacancies in higher grades in the channel, the filling of which will result in the need to make consequent appointments from the proposed panel,
- d) Vacancies likely to be caused due to staff approved to go on deputation to other Units,
- e) Number of staff already empanelled for ex-cadre posts,
- f) Vacancies likely to arise due to creation of additional post in higher grades and in the same grade. This may include only those proposals which have been concurred in by the Accounts and approved by the competent authority, and
- g) The vacancies arising out of cases where staff are likely to go out on transfer to other Railways/Divisions during the period under consideration.

4. Approval of Trade Test Assessment:

4.1 The actual trade test will be arranged by an Assistant Officer according to the specified trade tests. He will assess the results of the trade test, which must be supervised by a Supervisor not below the rank of Assistant Foreman or equivalent status. In Workshops and other places where large concentration of skilled categories exist, it will be desirable to employ a whole time trade testing supervisor to assist in arranging and conducting the trade test.

Results of trade test may be approved in the divisions by the respective Administrative Grade Officers of the departments concerned. Where there are no Administrative Grade Officers in position in a division, the trade test results may be approved by DRM or ADRM.

4.2 In regard to Workshops and other non-divisional units headed by a Senior Scale Officer, trade test results should be approved by the Dy. HOD of the department concerned at Head Quarters office who will work as Chairman of the Trade Test Panel. The Trade Test Panel consists of three officers namely (i) Foreman/Assistant Foreman or Inspector Supervising Trade Test, (ii) Assistant Officer concerned, and (iii) JA Grade Officer of the department who acts as Chairman, Trade Test Panel and approves the results.


4.3 In the event of an appeal over any approve trade test, the appeal will lie to the Chairman, Trade Testing Panel i.e. the Administrative Grade Officer who approved the trade test results, will function as an Appellate Authority.

4.4 The Trade Test accepting officers are advised to scrutinise the results of the Trade Test properly to ensure that there is no over-writing/alteration before accepting them, so that manipulations, if any, can be detected and prevented.

5. Employees who have already qualified in a Trade Test for non-selection posts in R.E. or Construction Projects need not be subjected to such tests on open line and they may be promoted on the basis of the seniority as and when due in turn. This is, however, applicable in comparable Trades only in which the lien of the individual is kept on the open line and is applicable only to the next higher grade than the one in which the lien is kept.

6. General:

- a) While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.
- b) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and
- c) If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the old circular which has been missed through oversight should be treated as valid and operative. Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.



(D. Joseph)

Joint Director / Establishment (N)
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

मास्टर परिपत्र सं.43
(अद्यतन जुलाई, 2019)

सं.ई(एनजी)/2019/पीएम 1/6 मास्टर परिपत्र/टीटी

नई दिल्ली, दिनांक: 24th जुलाई, 2019

प्रबंध निदेशक (पी),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: कारीगर कोटि में पदोन्नति के लिए व्यावसायिक परीक्षा - मास्टर परिपत्र।

इस विषय पर अब तक जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 09.01.1992 के पत्र सं.ई(एनजी)/91/पीएम 1/6 के तहत "व्यावसायिक परीक्षा" पर मास्टर परिपत्र सं.43 जारी किया गया था। 1992 से अब तक जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधान को समाविष्ट करते हुए सूचना और मार्गदर्शन के लिए मास्टर परिपत्र को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।

2. रेलों पर कारीगर कोटि से संबंधित कर्मचारियों की कुशल (तकनीशियन के रूप में पदनामित) ग्रेड-II एवं III में पदोन्नति और सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में ईएसएम/एमएसएम के पदों पर भी पदोन्नति के समय व्यावसायिक परीक्षा ली जाती है। निम्नलिखित पूर्ववर्ती अर्ध-कुशल व्यवसायों में खलासी से खलासी हैल्पर में पदोन्नति को छोड़कर, जो दिये गए व्यावसायिक परीक्षा के आधार पर होगी, खलासी से खलासी हैल्पर में पदोन्नति स्थानीय रूप से विकसित यथोचित अभिक्षमता परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए:-

- i) बालर/फीडर (प्रिंटिंग प्रैस)
- ii) फैंरो प्रिंटर (गैर-कारीगर)
- iii) पेपर-काउंटर (प्रिंटिंग प्रैस)

(बोर्ड के दिनांक 29.04.1999 का पत्र सं.पीसी-III/93/सीआरसी/10)

2.1 तकनीशियन ग्रेड-II से ग्रेड-I में पदोन्नति एसीआर के आधार पर होगी, जबकि अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। मूल्यांकन तीन अधिकारियों वाली विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें से दो अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के तकनीकी अधिकारी होंगे और एक कार्मिक अधिकारी होगा, जो एक रैंक नीचे हो सकता है परंतु फिर भी विभागीय समिति के सदस्य के समकक्ष होगा।

2.2 व्यावसायिक परीक्षा में मौखिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं शामिल होनी चाहिए और जहां-कहीं आवश्यक समझा जाए, लिखित परीक्षा भी सम्मिलित की जा सकती है।

2.3 व्यावसायिक परीक्षा में अर्हक अंक निम्नानुसार होंगे:-

	कुल अंक	अर्हक अंक
प्रायोगिक	60	36
मौखिक	40	15
कुल	100	51

नोट: संरक्षा कोटियों से इतर कोटियों में व्यावसायिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 30 अंक और मौखिक परीक्षा में 40 में से 11 अंक प्राप्त करने होंगे जबकि अन्य समुदाय के उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 36 अंक और मौखिक परीक्षा में 40 में से 15 अंक प्राप्त करने होंगे
(ई(एससीटी)70/सीएम/15/6 दिनांक 31.08.1971)

2.4 प्रत्येक कोटि के लिए व्यावसायिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा नियम रेलों में उपलब्ध व्यावसायिक परीक्षा नियमावली में दिए गए हैं।

2.5 (i) व्यावसायिक परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के बराबर, कर्मचारियों को बुलाया जाना चाहिए। यदि समुचित उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, इस कमी को पूरा करने के लिए इसी क्रम में आगे और उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं, परंतु यह समग्र प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसे नई व्यावसायिक परीक्षा के रूप में माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो पिछली व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, वे छह माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् होने वाली व्यावसायिक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। छह माह की अवधि को परिणाम घोषित होने की तारीख से गिना जाएगा।

2.5 (ii) सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में ईएसएम/एमएसएम ग्रेड-11 और 1 के पद पर पदोन्नति के मामले में रिक्तियों की संख्या से दोगुनी संख्या के बराबर कर्मचारियों को व्यावसायिक परीक्षा में विचार के लिए नोटिस जारी किया जाए, ताकि क्रम में हुई व्यावसायिक परीक्षा के पश्चात् भाग लेने हेतु तैयारी के लिए बराबर उम्मीदवार रह जाएं। यदि कुछ उम्मीदवार व्यावसायिक परीक्षा में उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं तो अल्प सूचना पर वरिष्ठता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जाए। ऐसे उपस्थित उम्मीदवारों को नए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले जहां रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाना अपेक्षित है वहां पर भी यह कार्यपद्धति अपनाई जाए।

2.6 यदि कोई कर्मचारी किसी व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है परंतु बाद की व्यावसायिक परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे अपने से कनिष्ठ उस कर्मचारी की तुलना में पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाए, जिसने पहले हुई व्यावसायिक परीक्षा पास कर ली हो परंतु जो रिक्ति न होने के कारण पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा हो।
[ई(एनजी)1/66/पीएम1/98 दिनांक 18.02.1967]

2.7 व्यावसायिक परीक्षा को आयोजित करने में विलंब होने पर कर्मचारी को व्यावसायिक परीक्षा पास किए बिना छह सप्ताह की अवधि तक तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जा सकता है।
[ई(एनजी)1/79/पीएम1/139 दिनांक 27.10.1979]

3. व्यावसायिक परीक्षा के लिए रिक्तियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना चाहिए:-
"मौजूदा रिक्तियां जमा वे प्रत्याशित रिक्तियां, जिनके अगले एक वर्ष के दौरान उत्पन्न होने की संभावना हो (जैसा नीचे परिभाषित किया है)"
[ई(एनजी)/2018/पीएम1/65 दिनांक 07.12.2018]

3.1 प्रत्याशित रिक्तियों का अर्थ निम्नलिखित रिक्तियों से लगाया जाना चाहिए:

- (क) सामान्य छीजन के कारण रिक्तियां, जैसे अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के कारण,
(ख) कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस दिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियां बशर्ते कि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार किए जाने की संभावना हो,
(ग) चैनलों में उच्चतर ग्रेडों में रिक्तियां जिन्हें भरे जाने के परिणामस्वरूप प्रस्तावित पैनल में से नियुक्तियां करने की आवश्यकता हो,
(घ) कर्मचारियों को अन्य इकाइयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमोदन किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां,
(ङ) संवर्ग बाह्य पदों के लिए पहले से पैनल पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या,
(च) उत्पन्न ग्रेडों में और उसी ग्रेड में भी अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियां। इसमें केवल वही प्रस्ताव शामिल किए जाएं जिन्हें लेखा की सहमति प्राप्त हो गई हो और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हों, तथा
(छ) उन मामलों के कारण उत्पन्न रिक्तियां जिनमें विचाराधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अन्य रेलों/मंडलों को चले जाने की संभावना हो।

4. व्यावसायिक परीक्षा के मूल्यांकन का अनुमोदन:

4.1 विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षाओं के अनुसार वास्तविक व्यावसायिक परीक्षा का प्रबंध किसी सहायक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का मूल्यांकन करेगा जो कम-से-कम सहायक फोरमैन अथवा इसके समकक्ष ओहदे के किसी पर्यवेक्षक की देखरेख में हुई हो। कारखानों में और अन्य स्थानों पर जहां कुशल कोटियों की संख्या बहुत अधिक है, व्यावसायिक परीक्षा के प्रबंध तथा आयोजन में सहायता देने के लिए पूर्णकालिक व्यावसायिक परीक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना वांछनीय है।

मंडलों में व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम संबंधित विभागों के अपने-अपने प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। किसी मंडल में प्रशासनिक ग्रेड का कोई अधिकारी पदासीन न हो तो वह व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन मंडल रेल प्रबंधक अथवा अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जा सकता है।

4.2 उन कारखानों और अन्य गैर-मंडलीय इकाइयों में जिनका प्रमुख कोई वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी हो, व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम प्रधान कार्यालय संबंधित विभाग के उप विभागाध्यक्ष द्वारा जो व्यावसायिक परीक्षा पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, अनुमोदित किए जाएं। व्यावसायिक परीक्षा पैनल में तीन अधिकारी होंगे यथा (i) व्यावसायिक परीक्षा का निरीक्षण करने वाला फोरमैन/सहायक फोरमैन या निरीक्षक (ii) संबंधित सहायक अधिकारी और (iii) विभाग का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो व्यावसायिक परीक्षा पैनल का अध्यक्ष होगा और परिणामों को अनुमोदित करेगा।

4.3 किसी अनुमोदित व्यावसायिक परीक्षा परिणाम के विरुद्ध अपील व्यावसायिक परीक्षा पैनल के अध्यक्ष के पास की जा सकती है अर्थात् प्रशासनिक ग्रेड के जिस अधिकारी ने व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन किया हो, वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

4.4 व्यावसायिक परीक्षा परिणाम स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों की ठीक से संवीक्षा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें स्वीकार करने से पहले उनमें कोई काट-छांट/फेरबदल नहीं किया गया है ताकि यदि कोई हेराफेरी हो तो उसका पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।

5. जिन कर्मचारियों ने रेल विद्युतीकरण अथवा निर्माण परियोजनाओं में गैर-प्रवरण - पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा में पहले अर्हता प्राप्त कर ली हो, उन्हें चालू लाइन पर ऐसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठता क्रम के आधार पर उनकी बारी आने पर उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि, यह केवल उन तुलनात्मक व्यावसायों पर ही लागू होगा, जिनमें कर्मचारी का धारणाधिकार चालू लाइन पर रखा गया है। जिस ग्रेड में धारणाधिकार रखा गया है, यह केवल उससे अगले उच्चतर ग्रेड पर ही लागू होगा।

6. सामान्य:

(क) इस परिपत्र का उल्लेख करते समय, सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर उस पर ही भरोसा किया जाए।

(ख) जब तक संबंधित परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों का अवलोकन किया जाए; और

(ग) इस समेकित परिपत्र को तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में न लिया गया हो, तो गलती से छूट गए उस पुराने परिपत्र को ही वैध तथा प्रभावी माना जाए। ऐसे छूट गए परिपत्र को, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

डी. जोसेफ

(डी. जोसेफ)

संयुक्त निदेशक/स्थापना (अराज.)

रेलवे बोर्ड